डॉ. संगिता सूर्यकांत चित्रकोटी
सहयोगी अध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिन्दी
को.ए.सो. लक्ष्मी–शालिनी महिला महाविद्‌यालय, पेझारी, अलीबाग
संपर्क - sangitachitrakoti@gmail.com

हिन्दू कोड बिल और डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का संघर्ष

कुछ दिनों पहले घटित दो घटनाओं से मन अत्यंत अस्वस्थ हुआ था क्योंकि दोनों घटनाएँ स्त्रियों के स्वाभिमान को ठेंच पहुंचाने वाली तो थी ही साथ ही स्त्रियों का अपमान करनेवाली भी थी। सबरीमलाई आयप्पा मंदिर के ट्रस्टी ने “स्त्रियों की मासिक धर्म की पहचान करनेवाला स्कैनर आने के बाद ही स्त्रियों कों मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा” ऐसा वादग्रस्त विधान किया। केरल के ही एक इमाम ने “महिला केवल बच्चों को जन्म देने के लिए ही होती है” कहकर अपने घटियाँ सोच का प्रदर्शन किया। प्राचीन काल में समाज का रूढ़िवादी, सांस्कृतिक नजरिया और शासकों की विलासतापूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया था। परंतु आज आधुनिक युग में भी स्त्री के प्रति वही दकियानूसी सोच रखनेवाले लोग रहते है इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का और कौनसा हो सकता है? केरल की इस घटना का विस्मरण होने के पूर्व ही महाराष्ट्र में दूसरी घटना घटित हुई। शनि शिंगनापुर के शनि मंदिर में एक महिला ने चबूतरे पर चढ़कर तेल अर्पण किया। मंदिर की परंपरा का यह उल्लंघन था। इस मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार महिलाओं को खुले गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं थी। इसे नापाक मानकर मंदिर का शुद्‌धिकरण किया गया जो की विवादों में रहा। कुछ प्रसार माध्यमों द्‌वारा शुद्‌धिकरण का समर्थन भी किया गया। मंदिर की नवनिर्वाचित अध्यक्षा ने घोषित किया कि शनि शिंगनापुर के मंदिर के चबूतरे पर महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कर्मठ विचारों वाले लोगों का फिर से एक बार कुटिल दाँव, नामधारी सत्ता की कुर्सी का लालच देकर एक महिला को महिलाओं के खिलाफ खड़ा किया। सूजान नागरिक अच्छे से जानते है कि अध्यक्षा किसकी बोली बोल रही थी। जरा सोचिए नौ महीने स्त्री गर्भ में पला - बढ़ा नरदेह सबको चलता है परंतु उस नरदेह को जन्म देनेवाली स्त्री अपवित्र है? वाह रे दुनियाँ वाह! जब तक समाज में प्रतिगामी प्रवृत्ति रहेगी तब तक समानता केवल किताबों में देखने को मिलेगी। इन्ही दो घटनाओं के कारण संसद में भी जोरदार चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि “संविधान हमारे देश का राष्ट्रग्रंथ है। संविधान हमें समानता सिखाता है। प्रकृतिक भेद के परे जाकर हमें समानता साकार करनी है।” माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार अत्यंत प्रशंसनीय है। पर उन विचारों कों प्रत्यक्ष में लाना मुश्किल सा प्रतीत होता है क्योंकि समाज के दक़ियानूसी विचारों और उनकी मानसिकता में परिवर्तन कैसे होगा?

9 दिसंबर 1946 में संविधान समिति की पहली सभा संसद भवन में हुई। 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान लागू किया। संविधान द्‌वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। ये सारे अधिकार भारतीय नागरिकों को स्वतन्त्रता प्रदान करते है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है। अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार समाविष्ट किया गया है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। भारत के सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून के सामने समान व्यवहार आवश्यक है। अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोक लगता है। संविधान स्वीकृत हो कर 70 साल हो गए पर फिर भी आज़ाद भारत में कर्मठ धर्म के ठेकेदारों द्‌वारा महिलाओं के मंदिर प्रवेश पर रोक लगाई जाती है।

पुरुष सत्ताक समाज की यहीं विकृत, संकुचित मानसिकता बाबासाहब ने पहचानी और स्त्रियों की दयनीय दशा, स्त्रियों की वेदना देखकर उनका दिल व्यथित हुआ इसलिए भारतीय स्त्रियों को

हजारों सालों के भीषण अंधकार से बाहर निकालने के लिए बाबासाहब ने स्त्री उत्थान का घोषणा पत्र 'हिन्दू कोड बिल' लिखा। 1947 से 4 साल तक बाबासाहब ने अविरत प्रयास कर हिन्दू कोड बिल तयार किया। बिल का प्रारूप तैयार होने के बाद उसे लोकसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति पंडित नेहरू तथा अन्य नेताओं ने दी। समाचार पत्रों ने हिंदू कोड बिल लोकसभा में आएगा इस खबर को छापकर सनसनी पैदा की जिससे प्रतिगामी विचारों वाले लोगों ने बिल के विरोध में खुला आंदोलन छेड़ा। विरोधकों को बाबासाहब ने सार्वजनिक सभाओं तथा निजी चर्चाओं में भी सभी को उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, उनकी आशंकाओ का समाधान करते रहे । खुद नेहरू जी ने भी आनेवाले अधिवेशन में हिंदू कोड बिल मंजूर करेंगे की घोषणा सभाओं में की थी। उनकी घोषणाओं के कारण कट्टरपंथी और अधिक क्रोधित हो गए। उनके मतानुसार हिंदू कोड बिल हिंदू धर्म पर आघात कर रहा था। लेकिन अंदर की बात तो यह थी आंबेडकर जैसे अवर्ण व्यक्ति के द्वारा 'स्मृति शास्त्र' में हस्तक्षेप करना उन्हे कतई मंजूर न था। अतः विरोध और अधिक तीव्र हो गया। बिल में समाविष्ट विवाह-विच्छेद व एकपत्नी व्रत इन अधिनियमों से इतनी मतभिन्नता निर्माण हुई कि मानों पूरी कायनात बाबासाहब के विरोध में खड़ी थी। पर बाबासाहब ना डरे ना हटे। उनके पास हर सवाल का जवाब था। हर मद्दे पर चर्चा के लिए वे सदैव तैयार थे। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि 'हिन्दू कोड बिल' मंजूर हो।

हिंदू कोड बिल का अनुच्छेद 02 हिंदुओं के साथ-साथ मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिक्ख धर्मियों के लिए भी लागू था। इसलिए हर धर्म के कट्टरपंथियों ने कलम 02 पर आक्षेप उठाए और अपने धर्म के लिए इसे लागू ना करने के लिए ज़ोर-शोर के साथ खूब विरोध किया। बिल का विरोध करने वाले तीन प्रकार के लोग थे। 1} सनातनी विचारों वाले लोग -- इन्हे हिन्दू कानून में या रूढ़ियों में परिवर्तन नहीं चाहिए था। उनके मतानुसार यह बिल हिन्दू धर्म में हस्तक्षेप है तथा हिन्दू रीतिरिवाजों, परंपराओ और धर्मशास्त्रों के विरूध्द है इसलिए ये लोग बिल के खिलाफ हो गए। 2} राजनीतिक लोग -- सत्ता की राजनीति खेलनेवाले नेताओं ने भी बिल का विरोध किया। 3} प्रस्थापित -- जिनके प्रतिष्ठा को धोखा निर्माण होने वाला था। इज्जत खो जाने के डर से वे बिल को नकार रहे थे। हिंदू धर्म की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हल्ला बोल दिया। अपनी बात रखते हुये उन्होने कहा " हिंदू धर्म के ठेकेदारों, पंडितों, संप्रदायों के प्रमुखों से बिना चर्चा किए, बिना सलाह लिए यह बिल बनाया है इसमें आंबेडकर का उतावलापन दिखाई देता है।"..... 1 लेकीन यथार्थ में बाबासाहब उन्हें मिलना चाहते थे परंतु वे लोग ही बाबासाहब से मिलने नहीं आए। बाबासाहब की बिनती को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। नजर उद्दीन अहमद का मत था कि "हिंदू कोड बिल संयुक्त परिवार की प्रथा को समाप्त कर देगा। कहा जा रहा है कि यह बिल वैदिक स्मृतियों में दर्जा साहित्य जो दैवी मूल के हैं, के विरुद्ध है। यह हिंदुओं की धार्मिक नींव और धार्मिक रचना को बर्बाद कर देगा।"... 2 'तलाक' के अनुच्छेद पर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों में भी असंतोषी फैल गई थी। उन्हे परंपरा से चली आयी तलाक प्रथा को ही बिल में स्थान चाहिए था। इस मुद्दे पर बाबासाहब के साथ घोर संघर्ष हुआ पर बाबासाहब अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए।

इस प्रकार हिंदू कोड बिल पर कट्टरपंथियों ने चारों ओर से हमला बोल दिया था पर बाबासाहब वीर योद्धा की तरह लढ़े। अनुच्छेद 02 पर लगातार 07 दिन 'न भूतो न भविष्यति' चर्चा हुई। इस पर बाबासाहब ने कहा था " I think it is an extraordinary event in the history of this parliament and I believe in the history of the past legislative assemblies that we should have been engrossed in the discussion of a single clause for not less than 7 days" ... ३ अर्थात एक अनुच्छेद पर लोकसभा में इतनी प्रदीर्घ चर्चा अब तक कभी नहीं हुई थी। यह एक ऐतिहासिक, अद्वितीय घटना थी। दरअसल वे चाहते थे कि बिल जैसे के वैसे मंज़ूर हो क्योंकि वे जानते थे कि हिंदू कोड बिल से जितना समाज का कल्याण होगा उतना संविधान से नहीं। संविधान में वे पूरी तरह समानता नहीं ला पाए थे। संविधान की इस न्यूनता को दूर करने के लिए उन्होने हिन्दू

कोड बिल तैयार किया था। इसलिए वे अपनी भूमिका पर अटल थे। श्री नेहरू जी ने पहले तो घोषित कर दिया था कि हिंदू कोड बिल मंज़ूर किया जाएगा पर कट्टरपंथियों का विरोध और कुछ ही दिनों में होने वाले चुनाव को सामने देखते हुए नेहरू जी हिंदू कोड बिल को टाल गए। बाबासाहब अत्यंत क्रोधित हुए, निराश हुए। रात-दिन मेहनत करके बनाए गए हिंदू कोड बिल का इस तरह अंत होना अत्यंत दुखद था। जब संसद में हिंदू कोड बिल पर चर्चा शुरू थी तब मा. प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बिल को टालने की नई योजना बनाई। समय के अभाव में पूरा बिल रद्द करने की बात पर सहमति हुई । केवल विवाह और तलाक का मुद्दा मंजूर करने की बात सोची। बाद में पूरे बिल को निकाल देने की योजना बनी। जिससे बाबा साहब को धक्का सा लगा। बलशाली मंत्रियों को बनारस - अलीगढ़ विश्वविद्यालय बिल, प्रेस बिल जैसे अपने बिल संम्मत कराने थे। उनको समय दिया गया पर मात्र हिंदू कोड बिल के लिए समय का अभाव था। क्या ये बिल हिंदू कोड बिल से ज्यादा जरूरी और अहम थे ? व्यथित हुए बाबा साहब ने कहा था हिंदू कोड बिल के लिए मुझे मानसिक यातनाएं दी गयी। बिल के लिए 120 लोग अनुकूल थे और 20 लोग प्रतिकूल थे सभागृह में बिल के पक्ष में स्पष्ट बहुमत था फिर भी समय के अभाव का कारण देकर बिल को रोका गया। और हिन्दू कोड बिल का सरे आम कत्ल हो गया। समय के अभाव में बिल को रोकने की प्रधानमंत्री की सूचना बाबासाहब को मान्य नहीं थी। स्वतंत्र भारत देश में एक कानून मंत्री को अपमान सहना पड़ा। उनके बुद्धि चातुर्यता की , उनके कार्य की, उनके महानता की अवहेलना की गयी। उनपर अन्याय हुआ। बाबासाहब अत्यंत आहत हुए। हिन्दू कोड बिल का खून होते वे देख नहीं सके। अंततः उन्होंने 27 सितंबर 1951 के दिन कानून मंत्री पद का अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के पास भेज दिया।

त्यागपत्र के साथ बाबासाहब लोकसभा में निवेदन भी प्रस्तुत करनेवाले थे। निवेदन का समय सुबह का तय हो गया था। परंतु उपसभापति श्री अनंत शयनम अय्यंगार ने आंबेडकर को श्याम 6 बजे के पहले निवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी और साथ ही निवेदन के पूर्व एक प्रतिलिपि की मांग भी उन्होने की। वैसे प्रतिलिपि देने का उस समय तक कोई नियम नहीं था। उपसभापति महोदय को उत्तर देते हुए बाबासाहब बोले " लगता है मै निवेदन प्रस्तुत करूँ ऐसी आपकी इच्छा नहीं है । यहाँ से आगे मैं मंत्री नहीं। मैं सभात्याग करके बाहर जा रहा हूँ । इस प्रकार के तानाशाही के आगे मै अपनी गर्दन कभी नहीं झुकाऊँगा । " ... 4 और बाबासाहब ने सभात्याग किया। सभागृह से बाहर आते ही उन्होने निवेदन की प्रीतिलिपियाँ पत्रकारों में बाट दी और अपनी बात पत्रकारों के समक्ष रखी। " आप ही बताइए इसमें आक्षेपहार्य क्या है? इसकी एक प्रतिलिपि सुबह साढ़े आठ बजे प्रधानमंत्री महोदय को भेजी गयी थी। मेरा त्यागपत्र देने का प्रमुख कारण हिन्दू कोड बिल का खून ही है। साथ ही नेहरू की परराष्ट्र नीति, मंत्रिमंडल में उनपर डाला गया बहिष्कार, दलित वर्ग के प्रति सरकार की अनास्था के कारण मैं त्यागपत्र देने के लिए विवश हो गया।"... 5

इस संदर्भ में लेडी हारटाँग ने "नेहरू कट्टरपंथियों के सामने झुक गए" ऐसा मत अपने ग्रंथ में प्रदर्शित किया है..." committee of narsing Rau drafted Hindu Code Bill, marriage, divorce, guardianship and inheritance. B.R. Ambedkar piloted the Bill with Nehru"s support But opposition of orthodox Hindus and delaying tactics of opposition prevented the Bill from becoming Act…" ... 6

समस्त महिला वर्ग के लिए बाबासाहब संघर्ष कर रहे थे पर उन महिलाओं ने भी उस समय बाबासाहब को साथ नहीं दिया था। अखिल भारतीय महिला संघ की श्रीमती शांतिदेवी चिटणीस,ने बिल का विरोध करने के लिए दिल्ली में अनशन शुरू किया था। लगातार 4 दिन के अनशन के बाद शांति देवी की तबीयत काफी खराब हो गई थी फिर भी वह अनशन जारी रखना चाहती थी। बाबासाहब जब दिल्ली में थे तब महिलाओं का एक शिष्ट मण्डल बाबासाहब से मिलने आया था। महिलाओं का कहना था कि “हिन्दू कोड बिल अच्छा नहीं है।” उनके बीच हुआ संवाद इसप्रकार है -

बाबासाहब - क्या आपने हिंदू कोड बिल पढ़ा है?
महिला - नहीं।
बाबासाहब - बिना पढे विरोध क्यों कर रहे हो।
महिला - मेरे पति ने धमकाया की "तूने बिल का विरोध नहीं किया तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा।"
कौन सी स्त्री सौतन चाहेगी। इसलिए बिल का विरोध कर रही हूँ

उस समय स्त्रियॉ मानसिक दृष्टि से दुर्बल थी। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थी। पति को परमेश्वर समझने वाली स्त्री अपने पति के खिलाफ कैसे जा सकती थी? और फिर स्त्री को आगे कर पीछे से वार करने की परंपरा हमारे समाज में वैसे पुरानी है। फिर वे भीष्माचार्य हो, हिन्दू कोड बिल के विरोधक हो, या शनि शिंगनापुर मंदिर के ट्रस्टी हो। डॉ. बाबासाहब महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। इनका मानना था किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि समाज में महिलाओं कि स्थिति क्या है? दुनिया कि लगभग आधी आबादी महिलाओं की है इसलिए जब तक महिलाओं का समुचित विकास नहीं होता कोई भी देश चहुंमुखी विकास नहीं कर सकता। उनको दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं कि उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हे घर, परिवार और समाज में सामाजिक बराबरी का दर्जा मिलेगा, उन्हे समाज में सम्मान मिलेगा, सम्मान से वह जी सकेगी। इसलिए बाबासाहब को सबसे बड़ी चिंता यही थी कि हिंदू कोड बिल को ऐसा बनाया जाय जिसमें महिलाओं को बराबरी का हक हो। यह बिल ऐसी क्रूर कुरीतियों को दूर कर रहा था जिन्हे परंपरा के नाम पर कुछ कट्टरपंथी जिंदा रखना चाहते थे। बिल में बाबासाहब ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए। उनका कहना था सही मायने में प्रजातन्त्र तभी आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिये जाएंगे। उन्हे भी विवाह, तलाक, संपत्ति मे उत्तराधिकार, दत्तक विधान आदि का अधिकार प्राप्त होगा। महिलाओं को पारंपरिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए उठाया गया यह एक ऐसा कदम था जो हिंदू समाज को जाति और लिंग के कारण पैदा हुई असमानता से मुक्त कर सकता था। हिन्दू कोड बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं था। उन्हे केवल विशेष वर्ग की महिलाओं की हितों की चिंता थी ऐसा नहीं वे तो सभी वर्गों, जातियों, के महिलाओं के लिए चिंतित थे। वे सभी महिलाओं के हितों का संरक्षण चाहते थे। उनका मानना था कि देश कि तरक्की के लिए देश के हर वर्ग को समानता का अधिकार मिलना चाहिए।

हिन्दू कोड बिल में 7 महत्वपूर्ण अधिनियम थे।

1. बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिन्दू पुरुष और महिलाओं को संपत्ति में बराबरी की हिस्सेदारी।
2. मृतक का उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार
3. भरण-पोषण -- हिन्दू पुरुष द्वारा उप- स्त्री रखने या पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार रखने या पुरुष के किसी बीभत्स बीमारी से ग्रसित होने की हालत में पत्नी को अलग होने और गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार
4. विवाह - विवाह संबंध में किसी भी प्रकार के जातीय भेदभाव को खत्म करना, एक जीवनसाथी रखने की शर्त
5. तलाक - अमानवीय व्यवहार, विवाहेतर संबंध, न ठीक होने वाली बीमारी की हालत में पति-पत्नी दोनों को तलाक मिलने का अधिकार
6. दत्तक ग्रहण - किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेने का अधिकार
7. अज्ञानत्व और पालकत्व

इन अधिनियमों से हिन्दू जीवन पद्धति में अमुलाग्र परिवर्तन होनेवाला था। इसलिए बाबासाहब हिंदू कोड बिल पारित करवाने को लेकर काफी चिंतित थे वे कहते थे मुझे भारतीय सविधान के निर्माण से अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पास कराने में है। लेकिन यह बिल उस समय पारित नहीं हो सका। बाबासाहब के तमाम तर्क और नेहरू का हिन्दू कोड बिल पर ढुलमुल रवैय्या के कारण बिल का अंत हो गया। कुछ लोगों ने धमकी दी कि वे इस बिल को कानून नहीं बनने देंगे। कुछ लोगों ने संसद पर धरना दिया। उद्योगपतियों और जमींदारो ने धमकी दी कि वे अगले चुनाव में सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। प्रधानमंत्री नेहरू इस बिल को पारित करना चाहते थे। पर आम चुनाव नजदिक होने के कारण वे इसे उस समय टाल गए थे। परंतु बाबासाहब के प्रयास व्यर्थ नहीं गए। आगे चलकर इस बिल का चार हिस्सों में विभाजन कर उचित समय देखकर चार बार में पास किया। जो निम्नानुसार है –

1. हिंदू विवाह बिल – 1955
2. हिंदू उतराधिकार अधिनियम – 1956
3. हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम – 1956
4. हिंदू अवयस्कता और संरक्षतता अधिनियम – 1956

इन कानूनों का मंजूर होना कानून के इतिहास में एक क्रांतिकरक घटना है। इन से स्त्री जीवन में अमुलाग्र परिवर्तन प्रारम्भ हुआ। बाबासाहब ने स्त्री- पुरुष को समान स्तर पर खड़ा किया। सनातनी व्यवस्था ने स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नकारा था। सतीप्रथा जैसी अमानवीय प्रथा बनाकर स्त्रियों को संपत्ति से बेदखल किया था। अपने दोनों हाथो में शस्त्र लेकर स्त्रियों के लिए लढनेवाले अकेले बाबासाहब ही थे। साथ ही बाबासाहब महिलाओं कि सभाए लेकर उन्हे स्वच्छता का पाठ पढ़ाते, बच्चों पर संस्कार करने की अवश्यकता बताते। वे सीखाते थे की “माँ का दूध मनुष्य को केवल शारीरिक दृष्टि से जीने के लिए और उसका पोषण कराने के लिए ही नहीं होना चाहिए बल्कि बच्चे को सर्व रूपों से इंसान बनाने के लिए समर्थ होना चाहिए।” इस प्रकार बाबाबसाहब महिलाओं के विकास के लिए अंत तक संघर्षशील रहे। सचमुच वे महिलाओं के मसीहा थे।

निष्कर्षतः कह सकते है कि बाबासाहब हिन्दू कोड बिल पास कर समस्त नारी जाति का कल्याण करना चाहते थे। स्त्री सरोकारों के प्रति उनका समर्पण किसी जुनून से कम नहीं था। बाबासाहब ने कानून के सामने सभी को समान रूप से खड़ा किया। आज संविधान स्त्री को हक देने के लिए संरक्षक ढाल बनकर खडा है। स्त्रियों को न्याय दे रहा है। स्त्रियों का अंधकारमय जीवन प्रकाशमय हो रहा है। स्त्रियों की आकांक्षा साकार हो रही है। सामाजिक न्याय, सामाजिक पहचान, समान अवसर और संवैधानिक स्वतन्त्रता के रूप में नारी सशक्तिकरण के लिए उनका योगदान पीढ़ी-दर-पीढ़ी याद किया जाएगा। सच तो यह है कि महिला सशक्तिकरण के असली नायक तो बाबासाहब ही है। आज 6 दिसंबर बाबासाहब के महापरिनिर्वाण दिन पर प्रस्तुत विचार उन्ही को समर्पित करती हुई इस महामानव को शतशः वंदन करती हूँ।

संदर्भ ग्रंथ : -

1. द्वारका खैरमोड़े - हिंदू कोड बिल पृ. 11
2. egynkosh.ac.in पृ. 13
3. द्वारका खैरमोड़े - हिंदू कोड बिल पृ. 12

4. द्वारका खैरमोड़े - हिंदू कोड बिल पृ. 43
5. द्वारका खैरमोड़े - हिंदू कोड बिल पृ. 43
6. द्वारका खैरमोड़े - हिंदू कोड बिल पृ. 17
7. भारतीय स्त्री आणि हिंदू कोड बिल – डॉ अनिल सूर्या
8. भारतीय संविधान